न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 24/2017

अनूप खां पुत्र श्री मोती खॉ, जाति, कायमखानी मुसलमान, निवासी, ग्राम लीलासेवडी, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला–अजमेर। ......अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर तह0पुष्कर(अजमेर)
2. सहायक वन सरंक्षक, वन विभाग, अजमेर। .... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मोहम्मद इकबाल, श्री सरफुददीन अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट्स

आदेश दिनांक :– 16.01.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2069–2072 में अनूप खां पुत्र श्री मोती खॉ, जाति, कायमखानी मुसलमान, निवासी लीलासेवडी तहसील पुष्कर जिला अजमेर द्वारा ग्राम कानस नेडलिया में पुष्कर मार्ग पर तहसील व जिला–अजमेर स्थित वन भूमि आराजी खसरा सं0 76/152 किस्म–गैर मु0 नाला (वन विभाग) में से रकबा 204 वर्ग मीटर पर अनाधिकृत रूप से अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की क्षैत्रीय वन अधिकारी पुष्कर एवं वनपाल नाका पंचकुण्ड की संयुक्त रिपोर्ट पर सहायक वन संरक्षक, अजमेर, वन मण्डल अजमेर द्वारा अतिकमी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 11/2016–17 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.07.2017 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिकर्मी के विवादित वन भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 11.07.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से वकील शुभकरण सिंह चौधरी उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 व्य0प्र0संहिता, वास्ते मौका कमिश्नर नियुक्त करने पेश किया, तत्पश्चात अपीलान्ट की ओर से वकील मौहम्मद इकबाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी ने जमाबन्दी के आधार पर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमी पर माना है, नक्शा ट्रेस से विधिवत पैमाईश सीमाज्ञान कर जांच नहीं की गई एवं ना ही विधिक प्रावधानों के तहत अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। विवादित भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश पुष्कर, में प्रकरण संस्थित होकर विवादित स्थल सबज्यूडिस है। इसके बावजूद प्रार्थी के विधि विरूद्ध रूप से प्रकरण संस्थित कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि बाबत हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाकर सही स्थिति की जानकारी की जा सकती है। अभि0 अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि अपीलान्ट राजस्व ग्राम लीलासेवडी के साबिक/वर्किंग खसरा नं0 28 में विधिवत आवंटन के तहत काबिज है। राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में किये गये संशोधन के मुताबिक धारा 91 के भू–राजस्व अधिनियम के तहत निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार रेस्पोडेन्ट्स का नहीं है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधीन होने से अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूमि के उत्तर दिशा में नहर तथा नहर के बाद वन विभाग की भूमि है। अपीलान्ट के आवंटित स्थल के मध्य नहर होने से अपीलान्ट वन विभाग की भूमि पर काबिज होकर अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत की भूमि पर वैधानिक तौर पर काबिज है। अपीलान्ट का वन विभाग के किसी भी भाग पर कतई अतिक्रमण नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने Notification दिनांक 27 जनवरी 1990 का हवाला देते निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने से रेस्पोडेन्ट्स की धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की जांच किये बिना प्रकरण को अत्यन्त फौरी तौर पर लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11..07. 2017 खारिज फरमाते हुए प्रकरण विधिवत साक्ष्य के सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित रेस्पोडेन्ट्स अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। वन भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। अजमेर मेरवाडा फोरेस्ट एक्ट 1884, दी अजमेर मेरवाडा टेनेन्सी एण्ड लेण्ड रिकार्ड एक्ट 1950 की धारा 3 में वन भूमि को सुरक्षित किया गया है। अजमेर मेरवाडा केन्द्र प्रशासित सी-क्लास स्टेट थी जो 1957 में राजस्थान में विलय होकर दिनांक 15.6.1958 को प्रभावशील हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वन भूमि में किसी भी प्रकार के अतिचार को अवैध एवं शून्य करार दिया गया है। वर्तमान प्रकरण में अतिचारित भूमि वन विभाग के पिलरों के अन्दर आने वाली भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार का अतिचार अवैध एवं शून्य है। उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा, क्षैत्रीय वन अधिकारी पुष्कर एवं वनपाल नाका पंचकुण्ड की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधान अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर विधिवत सुनवाई कर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्याय संगत है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उल्लेखित परिपत्र वन विभाग की भूमि पर पोषणीय नहीं है। अतः अपील, अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है क्षेत्रीय वन अधिकारी पुष्कर, वनपाल नाका पंचकुण्ड एवं मौका पंचनामा दिनांक 18.01.17 के मुताबिक ग्राम लीलासेवडी तहसील पुष्कर के खसरा नं0 76/152, वनखण्ड कानस नेडलिया वन भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जाने पर सहायक वन सरंक्षक, अजमेर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति के मध्यनजर प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 व्य0प्रक्रिया संहिता एवं अपील, स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.01..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner